न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
मुकदमा नं० 242/2021 वादपत्र
उनवान - [illegible] v/s [illegible]

राष्ट्रीय लोक अदालत

13/8/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील वादी व तहसीलदार नीमकाथाना उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम रुपावास पटवार हल्का मावण्डा आर. एस. स्थित भूमि खाता सं0 100 कुल किता 08 कुल रकबा 3. 78 हैक्टे0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम कल्लाराम व खाता सं0 113 मे वादी सं0 1 के पिता का नाम कल्लुराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि इनके पिता का वास्तविक नाम कालूराम है। दौराने रिकार्ड संधारण राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश कालूराम के स्थान पर कल्लाराम व कल्लुराम दर्ज कर दी जिस कारण वादीगण को भारी हकतल्फी है। अतः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम कल्लाराम व कल्लुराम के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जावे। वादी ने वादपत्र के साथ जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें वादीगण के पिता का नाम कालूराम अंकित है। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान पूरणमल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति माली निवासी रुपावास का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। तहसीलदार नीमकाथाना ने इस पर कोई एतराज नही किया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई जिरह नही करने का कथन किया इसलिये जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के पिता का नाम कल्लाराम व कल्लुराम गलत दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम कालूराम है जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि की प्रतियों से होती है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:35:59 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)